पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब³ –14/2016– 93(प्रा॰)

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक

सुशांत झा,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, सिवान/मुगेर/कटिहार/किशनगंज/भागलपुर/मधुबनी/वैशाली/शिवहर एवं बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी

/पटना, दिनांक 31-12-2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203 –तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00, लघुशीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43–2203001050106) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3300, दिनांक 07.12.2018 के द्वारा विभागान्तर्गत 9 (नौ) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, सिवान/मुगेर/कटिहार/किशनगंज/भागलपुर/मधुबनी/वैशाली/शिवहर एवं बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी में छात्र/ छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू॰ 70,88,000=00 (सत्तर लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से संबंधित संस्थानों को कुल रू॰ 70,88,000=00 (सत्तर लाख अठासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

विषयशीर्ष	रा॰ पो॰ सिवान	रा॰ पो॰ मुंगेर	रा॰ पो॰ कटिहार	रा॰ पो॰ किशनगंज	रा॰ पो॰ भागलपुर	रा॰ पो॰ मधुबनी	रा॰ पो॰ वैशाली	ब॰खा॰ई॰ पो॰, सीतामढ़ी	रा॰ पो॰ शिवहर	कुल आवंटित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1301 कार्यालय व्यय	800000	800000	800000	800000	750000	738000	800000	800000	800000	**7088000**
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)

(क) आठ लाख रूपये मात्र। (ख) आठ लाख रूपये मात्र। (ग) आठ लाख रूपये मात्र। (घ) आठ लाख रूपये मात्र। (ङ) सात लाख पचास हजार रूपये मात्र। (च) सात लाख अड़तीस हजार रूपये मात्र। (छ) आठ लाख रूपये मात्र। (ज) आठ लाख रूपये मात्र। (झ) आठ लाख रूपये मात्र। (ञ) सत्तर लाख अठासी हजार रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या –2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–6903, दिनांक 13.09.2018 एवं पत्रांक–868, दिनांक 10.12.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नही हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वाप लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषय शीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(सुशांत झा)
विशेष सचिव